

कार्यालय: जिला शिक्षा अधीक्षक, सरायकेला-खरसावाँ

पत्रांक 1131

सरायकेला, दिनांक:-12/08/2026

कार्यालय आदेश

प्रमाणित किया जाता है कि निजी विद्यालय D.A.V. Public School, NIT Adityapur सरायकेला-खरसावाँ द्वारा "निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009" (RTE Act 2009) की धारा 12(1)(c) के तहत अभिवंचित समूह के बच्चों के लिए निर्धारित 25% सीटों पर शत-प्रतिशत (पूर्ण) नामांकन लिया गया है।

N
12/8/26

जिला शिक्षा अधीक्षक
सरायकेला-खरसावाँ